

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/अलेसे -III/ 224-230 दिनांक :- 13/2/2015

आदेश संख्या: 147/2014-15

श्री लाल बहादुर मित्तल, (लिंक नं0 5685) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपनिदेशक पशुपालन विभाग, भरतपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा रिश्वत के प्रकरण में अपराध संख्या 250/2010 दर्ज कर अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग के पत्र क्रमांक 8177 दिनांक 07.10.2011 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी कर विभागीय आदेश क्रमांक 8179-8185 दिनांक 07.10.2011 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

श्री लाल बहादुर मित्तल, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि0 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2015 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (8) वित्त/राजस्व/14/दिनांक 28.01.2015 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री लाल बहादुर मित्तल, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधीन किया जावेगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/अलेसे -III/ 224-230 दिनांक :- 13/2/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी, अलवर।
3. श्री लाल बहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं0 5685) मुख्यालय कोषालय, अलवर।
4. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)।
5. निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-II कार्यालय हाजा।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)